अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 484(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19.12.2011 की अधिसूचना सं0 **का0** आ0 2835 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "भारत लोक शिक्षा परिषद, ए-131/3, ग्रुप इंडस्ट्रियल एरिया, वजीरपुर, दिल्ली-110052" द्वारा "3150 एक अध्यापक स्कूलों (ओटीएस) को चलाने" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1554.88 लाख रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में

क्रम सं0 19 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 31.07.2014 की अधिसूचना सं० का0आ० 1926 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 31 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं० का0आ० 1926 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 1554.88 लाख रू0 से बढ़ाकर 3024.00 लाख रू0 कर दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत के 3024 लाख रू0 से बढ़कर 4524 लाख रूपए होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत परियोजना लागत को 3024 लाख रू0 से बढ़ाकर 4524 लाख रू0 करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "भारत लोक शिक्षा परिषद, ए-131/3, ग्रुप इंडस्ट्रियल एरिया, वजीरपुर, दिल्ली-110052" द्वारा चलाई जा रही "3150 एक अध्यापक स्कूलों (ओटीएस) को चलाने" की परियोजना अथवा स्कीम को अधिसूचित करती है; और दिनांक 19 दिसंबर, 2011 की उक्त अधिसूचना सं० सां०आ० 2835 (अ०) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित क्रम सं० (3), कॉलम (4) में, "3024 लाख रूपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए "4524 लाख रूपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 114/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)